सं. 38/37/08-पी एंड पी डब्ल्यू (ए)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

तृतीय तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
दिनांक 13 फरवरी, 2013

कार्यालय ज्ञापन

विषय : **वर्ष 2006 से पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों की पेंशन में संशोधन के संबंध में।**

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय के अनुसरण में इस विभाग के समय समय पर यथासंशोधित दिनांक 01.09.2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 38/37/08-पी एंड पी डब्ल्यू (ए) द्वारा पेंशन/कुटुंब पेंशन में संशोधन के आदेश जारी किए गये थे।

2. इस विभाग के दिनांक 28 जनवरी, 2013 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन द्वारा 2006 से पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों की पेंशन/कुटुंब पेंशन को दिनांक 24.09.2012 से वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 30 अगस्त, 2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/1/2008-आईसी में संलग्न फिटमेंट टेबल के अनुरूप संशोधन-पूर्व वेतनमान, जिससे पेंशनभोगी सेवानिवृत्त हुआ था, के तदनुरूपी वेतन बैंड में न्यूनतम वेतन और ग्रेड वेतन के योग के 50% तक बढ़ा दिया गया था।

3. जहां तक संशोधित पेंशन/कुटुंब पेंशन के वितरण का संबंध है, जिन मामलों में छठे केंद्रीय वेतन आयोग के उपरांत वेतन एवं लेखा कार्यालयों द्वारा पहले ही संशोधन कर दिया गया है, पेंशन/कुटुंब पेंशन की मंजूरी का दायित्व विभागाध्यक्ष का है, वहां पीएओ के स्तर पर संशोधन प्रभावी किया जाए। विभागाध्यक्ष (एचओडी)/आहरण एवं वितरण अधिकारी (डीडीओ) को संशोधित प्राधिकार की एक प्रति रिकार्ड के लिए प्रेषित की जाए। जिन मामलों में कोई संशोधन प्रभावित नहीं हुआ है, वहां पेंशन/कुटुंब पेंशन के संशोधन के लिए कार्यालयाध्यक्ष सामान्य प्रक्रिया अपनाएं। उन मामलों में भी जहां इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने के फलस्वरूप पेंशन/कुटुंब पेंशन में कोई परिवर्तन नहीं है, वहां पीएओ द्वारा कोई परिवर्तन नहीं का संशोधित प्राधिकार जारी किया जाए। आगे की यथोचित कार्रवाई हेतु सीपीएओ को अंतिम प्राधिकार भेजा जाएगा।

4. पेंशन वितरण अधिकारी द्वारा पेंशन भुगतान आदेश के दोनों भागों में संशोधित पेंशन/कुटुंब पेंशन संबंधी प्रविष्टि दर्ज की जाए।

5. यदि 2006 से पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों की पेंशन/कुटुंब पेंशन को अभी तक 01.01.2006 से संशोधित नहीं किया गया है, तो उसे भी दिनांक 01.09.2008 के आदेश एवं तदुपरांत जारी आदेशों के अनुरूप 23.09.2012 तक की अवधि के लिए और दिनांक 28.01.2013 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के अनुरूप 24.09.2012 से आगे की अवधि के लिए संशोधित किया जाए।

6. सीजीए/ सीपीएओ/ रक्षा मंत्रालय/ डाक विभाग/ दूरसंचार विभाग, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी सिविल पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों को बढ़ी हुई पेंशन और उसके बकाए का त्वरित रूप से वितरण किया जाता है, अपनी स्वयं का निगरानी तंत्र बनाएं।

तृप्ति घोष

(तृप्ति पी घोष)
निदेशक

सेवा में : परिचालन सूची के अनुसार भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग / सीपीएओ/सी एंड एजी।